न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
सुखीदेवी पुत्री स्व. भीमाजी पत्नी रमेश कुमारजी जाति बावरी निवासी काम्बेश्वर कॉलोनी शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 31/2024

दिनांक 10.01.2025

–:आदेशः–

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **मौजा केसरपुरा** पटवार हल्का केसरपुरा भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र शिवगंज तहसील शिवगंज में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके **खसरा नं0 15/5 रकबा 0.0405 हैक्टयर** है, जिसमें प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा आया हुआ है। जमाबंदी संवत 2076–2079 की खतौनी में प्रार्थीया का नाम सुगना पुत्री भीमा जाति मूंगीया खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया सुखीदेवी के पिता स्व. भीमाजी की मृत्यु के पश्चात तहसीलदार शिवगंज द्वारा उनके वारिसान के नाम दर्ज किये जाने थे किन्तु प्रार्थीया के नाम सुखीदेवी दर्ज नहीं करते हुए सुगना दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है जबकि भीमाजी के सुगना नाम की कोई वारिसान नहीं है। प्रार्थीया सुखीदेवी का नाम सही दर्ज नहीं होकर सुगना दर्ज कर दिया है जो कि गलत है। उक्त हिस्सा कृषि आराजी पर प्रार्थीया ही काबिज है तथा मोके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी में प्रार्थीया का नाम सही दर्ज नहीं होने से उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने में सुविधा हो रही है। तथा अनैक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। जबकि प्रार्थीया के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में सुखीदेवी ही दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है। अतः प्रार्थीया ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र कमांक 517 दिनांक 27.08.2024 के द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की, जिसमें अवगत कराया कि वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम सुगना पुत्री भीमा ही दर्ज है। राजस्व ग्राम केसरपुरा के नामा0 सं0 1285/1.4.2024 (विरासत) द्वारा उक्त भूमि भीमा पुत्र सुराजी जाति मूंगीया के स्थान पर उनके उत्तराधिकारीयों के नाम दूदाराम पुत्र भीमाजी द्वारा पेश नामांतरकरण के संलग्न दस्तावेज शपथ पत्र के आधार पर दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थीया का नाम सुगना पुत्री भीमा ही दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खसरा नं0 15/5 के अन्य सहखातेदारान लीला पुत्री भीमारामजी, धापु पुत्री भीमारामजी व दुदाराम पुत्र भीमारामजी के शपथ पत्र पेश किये जिसमें भी प्रार्थीया का सही नाम सुगना की जगह सुखीदेवी शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 10.01.2025 को सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि मौजा केसरपुरा के खसरा नम्बर 15/5 में प्रार्थीया के नाम प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, व सहखातेदारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य व सहखातेदारों के शपथपत्र के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा केसरपुरा** पटवार हल्का केसरपुरा के खसरा नं0 15/5 रकबा 0.0405 **हैक्टयर** में दर्ज नाम सुगना पुत्री भीमा के स्थान पर **सुखीदेवी पुत्री भीमा** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदनुसार पालना करे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.14 15:58:54 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र, R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

क्रमांकः–कोर्ट/2025/ — दिनांक 10–01–2025

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)